

कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड औरैया, दिबियापुर

नोटिस

एतद्द्वारा नहरी राजकीय भूमि कस्बा झींझक पर अवैध कब्जा धारको को सूचित किया जाता है, कि शासनादेश सं० 900/स०ख०/92-27-सिं-3-57 एल/91/सिंचाई अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 मार्च 1992 द्वारा समस्त राजकीय भूमि के पट्टे निरस्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.04.1993 कोई भी पट्टा नवीनीकृत नहीं किया गया और न ही कोई किराया ही विभाग द्वारा वसूल किया गया।

कस्बा झींझक के अन्तर्गत इटावा शाखा नहर पुल एवं राज० झींझक एवं माइ० दाया एवं वायां जुरिया की दोनों पटरियों पर अतिक्रमण कर्ताओं की सूची

1. मैनेजर/मालिक लला होटल रुरारोड इटावा शाखा पटरी दायां झींझक पुल से पूरव की ओर।
2. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री रामचन्द्र गुप्ता इटावा शाखा पटरी दायां झींझक, निजी मकान एवं दुकानें आदि।
3. श्री राम शंकर उर्फ मुन्नू गुप्ता पुत्र श्री राम रतन गुप्ता, झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (इण्टर कालेज एवं जूनियर हाईस्कूल)
4. श्री राम शंकर उर्फ मुन्नू गुप्ता पुत्र श्री राम रतन गुप्ता, झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (गेस्ट हाउस)
5. डॉ० राजेन्द्र दीक्षित, झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (मकान एवं दुकानें)
6. श्री राजेन्द्र चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री सोन लाल गुप्ता झींझक नहर पुल से पश्चिम की ओर झींझक (मकान की बाउण्ड्री व गेट इत्यादि।
7. श्री घन श्याम सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (निजी मकान/दुकान इत्यादि)
8. श्री राम विलास भुर्जी पुत्र श्री हरिनारायण भुर्जी झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (निजी मकान/दुकान इत्यादि)
9. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामचन्द्र गुप्ता झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (निजी मकान/दुकान इत्यादि)
10. श्री लखन सिंह यादव पुत्र श्री जगन्नाथ यादव झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (निजी मकान/दुकान इत्यादि)
11. श्री लल्लू पुत्र श्री राजकुमार शुक्ला झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (निजी मकान/दुकान इत्यादि)
12. श्री लखन सिंह यादव पुत्र श्री जगन्नाथ यादव झींझक नहर पुल के पास पटरी वायां झींझक (निजी मकान/दुकान इत्यादि)
13. श्री रामसिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर यादव राज० झींझक पटरी दायां (निजी मकान/दुकान इत्यादि)

14. श्री राजाबाबू दिवाकर पुत्र श्री बदलू प्रसाद दिवाकर, झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (इण्डियन ऑयल कैरोसीन डिपो)
15. श्री राजाबाबू दिवाकर पुत्र श्री बदलू प्रसाद दिवाकर, झींझक नहर पुल के पास पटरी दायां झींझक (श्रीमती रानी देवी इण्टर कालेज)
16. श्री रामू गुप्ता पुत्र श्री किशन गुप्ता राज0 झींझक पटरी दायां (निजी मकान/दुकान इत्यादि)
17. श्री जयवीर प्रिंटिंग प्रेस वायां जुरिया माइनर हैड पर दोनो पटरियों (मकान एवं दुकाने)
18. वायां जुरिया माइनर की दोनो पटरियों पर स्थित विभिन्न मकान एवं दुकाने इत्यादि।
19. राज0 झींझक के हैड पर दोनो पटरियों पर स्थित (मकान एवं दुकाने)
20. राज0 झींझक दायां जुरिया माइनर की दोनो पटरियों पर स्थित विभिन्न मकान एवं दुकाने इत्यादि।

उपरोक्त समस्त अतिक्रमण कर्ताओं को राजकीय भूमि को खाली करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस चस्पा करके अपना मलवा हटाने हेतु पूर्व में दिनांक 13.02.2014 एवं 30.09.2014 को भी नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री हिंचलाल तिवारी V/S स्टेट श्री दीनानाथ V/S प्रकरण में दिये गये आदेशों के अनुक्रम में पुनः आदेशित किया जाता है कि आप **07 दिन** के अन्दर नहर गंग की राजकीय भूमि गाटा संख्या-281, 282, 283, 348, पर अवैध कब्जा खाली कर दें तथा अपना सम्पूर्ण मलवा उठा लें, अन्यथा की दशा में अवैध अतिक्रमण ढहाते हुए आये खर्च की वसूली आपसे की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी उज्रमान्य न होगा। समस्त अतिक्रमित भूमि, मकान व दुकान आदि पर विभागीय कर्मचारियों एवं राजस्व टीम तहसील डेरापुर द्वारा संयुक्त रूप से चिन्हाकन पूर्व में कईवार कराया जा चुका है।

आज्ञा से

अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड औरैया, दिबियापुर